नेशनल पीपुल्स पार्टी

का

संविधान

विषय सूची

धारा 1 : पार्टी का नाम.....3

धारा 2 : सिद्धांत, लक्ष्य और उद्देश्य

धारा 3 : झण्डा

धारा 4 : रंग और चिह्न

धारा 5 : सदस्यता

धारा 6 : पार्टी की कमेटियाँ

धारा 7 : पार्टी की कमेटियों का कार्यकाल

धारा 8 : कमेटी की बैठकें

धारा 9 : संगठनात्मक ढाँचा

धारा 10 : साधारण समिति

धारा 11 : पार्टी के पदाधिकारी

धारा 12 : मोर्चे व प्रकोष्ठ

धारा 13 : राष्ट्रीय न्यास और बोर्ड के न्यासी

धारा 14 : निर्वाचन कमेटियाँ

धारा 15 : आतंरिक निर्वाचन तंत्र

धारा 16 : सदस्यता की जाँच

धारा 17 : पार्टी का निर्वाचन संबंधी विवाद

धारा 18 : गणपूर्ति (सदस्यों की आवश्यक संख्या)

धारा 19 : महिलाओं के लिए आरक्षण

धारा 20 : राज्य स्तर पर पार्टी की शक्तियाँ और कार्य

धारा 21 : पार्टी के संविधान में संशोधन

धारा 22 : विलय / विभाजन या गठबंधन

धारा 23 : वित्त / ऑडिट / उत्तरदायित्व

धारा 24 : दान / चँदा

धारा 25 : रिक्तियाँ

धारा 26 : आदर्श आचार संहिता और अनुशासनात्मक कार्यवाही

धारा 27 : विविध प्रावधान

धारा 1 : पार्टी का नाम

पार्टी का नाम "नेशनल पीपुल्स पार्टी" होगा।

धारा 2 : सिद्धांत, लक्ष्य और उद्देश्य

नेशनल पीपुल्स पार्टी विधि द्वारा स्थापित संविधान में पूर्ण आस्था तथा निष्ठा रखेगी और समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता बनाए रखेगी।

i) सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।

ii) सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी।

iii) सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करेगी।

iv) नागरिकों में भाईचारा को बढ़ावा देते हुए व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करेगी।

v) पार्टी पिछड़ों, वंचितों के हित और कल्याण व अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संपन्नता के लिए काम करेगी।

vi) पार्टी भारतीय संघ की विभिन्न जनजातियाँ जो सदियों से सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के साथ निवास कर रही हैं, उनकी प्राचीन परंपरा, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के प्रति प्रतिबद्ध है। पार्टी ऐसा समझती है कि इन जनजातियों की सांस्कृतिक विविधता की अभिव्यक्ति को पहचान मिलनी चाहिए और उसे बढ़ावा मिलना चाहिए।

vii) नेशनल पीपुल्स पार्टी भारत के नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप शांति पूर्ण ढंग से काम करती रहेगी। संसदीय लोकतंत्र पर आधारित एक समाजवादी राज्य में जहाँ सभी को समान अवसर, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार हासिल होंगे। जिसका लक्ष्य विश्व शांति और विश्व बंधुत्व होगा।

धारा 3 : झण्डा

नेशनल पीपुल्स पार्टी के झण्डा में तीन रंग होंगे। पीला (Hex code#FFCC00/RGB: 255,204,0) सबसे ऊपर होगा, लाइम ग्रीन (Hex Code # AEF35A/ RGB: 68.24, 95.29, 35.29) नीचे होगा और सफेद रंग (Hex Code # ffffff/RGB: 100,100,100) बीच में होगा। जिसमें पार्टी का चुनाव चिह्न 'किताब' काले रंग (Hex Code#000000/RGB: 0, 0,0,0) में छपा होगा। उदाहरण के लिए झण्डा का नमूना संविधान के बैक कवर पर प्रकाशित किया गया है।

धारा 4 : रंग और चिह्न

पीला रंग दर्शाता है:

- *आत्मज्ञान* जो हमेशा लोगों की सेवा के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा।

- भय और अज्ञानता को दूर करने वाला *ज्ञान*

हरा दर्शाता हैः

- *यह रंग समृद्धि* का प्रतीक है। हमेशा उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर।
- *आत्म निर्भरता का प्रतीक है ताकि सभी सम्मान और गर्व से जी सकें इसके लिए उन्हें सशक्त बनाना।*

सफेद दर्शाता हैः

- *पारदर्शिता के जरिए जवाबदेही और सत्यनिष्ठा*
- *'किताब' बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। समझ और ज्ञान सभी के लिए।*

धारा 5 : सदस्यता

1. प्राथमिक सदस्यता

कोई भी व्यक्ति जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाना चाहता है उसे पार्टी का सदस्य कहा जाएगा, उसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगीः

क. पार्टी की सदस्यता को इच्छुक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो और आर्थिक रूप से समर्थ हो।

ख. पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी की ओर से धारा (2) के तहत प्रस्तावित फॉर्म को स्वीकार करना होगा और उसका ग्राहक बनना होगा।

ग. त्रैवार्षिक सदस्यता के रूप में 5 रुपए का भुगतान करना होगा।

घ. चुनाव आयोग के तहत पंजीकृत किसी भी अन्य पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए।

ङ. किसी नैतिक अपराध में सजा न हुई हो। ऐसे किसी अपराध में सजा नहीं हुई हो जो उसे सदस्यता के लिए अयोग्य बनाता हो।

च. कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थायी निवास स्थान अथवा उस जगह जहाँ वह अपना कामकाज करता हो, प्रारम्भिक सदस्य बन सकेगा।

छ. कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जगह से सदस्यता नहीं ले सकेगा।

ज. किसी भी सदस्य के सदस्यता स्थान में बदलाव का आवेदन संबंधित जिला कार्यकारी कमेटी (डीईसी) द्वारा राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन के बाद ही मंजूर किया जा सकेगा। अन्य किसी सूरत में सदस्यता स्थान में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

झ. प्रारम्भिक सदस्यों की स्थायी पंजिका ब्लॉक कार्यकारी कमेटी/विस क्षेत्र या अन्य अधीन कमेटी द्वारा तैयार की जाएगी और उसकी प्रति निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित राज्य कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और केंद्रीय कार्यकारिणी को वर्ष के अंत में भेजना होगा।

ञ. प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों द्वारा लिया गया त्रैवार्षिक चन्दा विभिन्न इकाइयों के बीच निम्नलिखित अनुपात में बाँटा जाएगा।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी-	10%
राज्य कार्यकारिणी-	25%
जिला कार्यकारिणी-	25%
ब्लॉक कार्यकारिणी-	40%

2. सक्रिय सदस्यताः

प्राथमिक सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियां, जो सक्रिय सदस्य बनने के पात्र हैं:

कः पंचायत, जिला परिषदों, प्रखंड विकास समितियों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों, नगर क्षेत्र समितियों, नगर निगमों, अन्य स्थानीय निकायों, राज्य विधानमंडलों और संसद के सदस्य।

खः ऐसे संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं जिन्हें राष्ट्रीय समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता दी गई है।

गः पार्टी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कोई अन्य व्यक्ति।

घः प्राथमिक सदस्य, जिसने कम से कम 20 प्राथमिक सदस्यों को त्रैवार्षिक रूप से नामांकित किया हो।

ड. प्रत्येक सदस्य को एक सक्रिय सदस्य के रूप में पंजीकरण के लिए शुल्क के रूप में 100/- रुपये का भुगतान करना होगा।

चः प्रत्येक सक्रिय सदस्य अपने हस्ताक्षर के तहत राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करेगा और उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा।

छ: पार्टी टिकट पर संसद, राज्य विधानसभाओं और/या स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह एक सक्रिय सदस्य न हो।

जः प्रखंड/जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा सक्रिय सदस्यों के स्थायी रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा। प्रखंड/जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा विधिवत प्रमाणित स्थायी रजिस्टर की एक प्रति राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला/ब्लॉक कार्यकारी समितियां संबंधित जिला/ब्लॉक अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत कार्ड पर चिपकाए गए सदस्यों की तस्वीरों के साथ पहचान पत्र जारी कर सकती हैं।

झः राज्य कार्यकारिणी समिति अपने अधिकार क्षेत्र में सक्रिय सदस्यों के स्थायी रजिस्टर की एक प्रति राष्ट्रीय समिति के कार्यालय को उपलब्ध कराएगी और समय-समय पर उसमें किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करेगी; या जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

ञः रजिस्टर में पूरा नाम, व्यवसाय, निवास स्थान के साथ मतदान केंद्र का नाम और प्रत्येक सदस्य के नामांकन की तारीख होगी।

टः सदस्यता मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन, अंशदान का भुगतान न करने और सदस्यता का नवीनीकरण न करने, किसी अन्य दल की सदस्यता लेने, पागलपन और दिवालियेपन से समाप्त हो जाएगी।

III. अवधि:

कः प्राथमिक सदस्यता की अवधि सदस्य के रूप में नामांकन की तिथि से तीसरे वर्ष के 31 दिसंबर तक होगी।

खः प्रत्येक सक्रिय सदस्य का कार्यकाल सक्रिय सदस्य बनने की तिथि से तीन वर्ष का होगा और सक्रिय सदस्य के रूप में पात्रता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सक्रिय सदस्य को अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम 20 प्राथमिक सदस्यों की भर्ती करनी होगी।

गः उपरोक्त खंड (ख) के होते हुए भी, पार्टी और उसकी विभिन्न समितियों के पदाधिकारी, एक बार निर्वाचित या मनोनीत होने के बाद, जब तक उन्हें पद या पदाधिकारियों के पद से मुक्त नहीं किया जाता है, तब तक वे पार्टी के सक्रिय सदस्य बने रहेंगे।

IV.प्राथमिक/सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण

कः एक सदस्य को उपरोक्त खंड (III) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाना होगा।

खः एक पात्र व्यक्ति द्वारा सदस्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ सदस्यता शुल्क जमा करने को प्राथमिक सदस्यता के नवीनीकरण के लिए पूर्ण माना जाएगा।

गः विधिवत भरे हुए सदस्यता नवीनीकरण आवेदन के अनुमोदन पर सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण किया जा सकता है।

अनुच्छेद 6: पार्टी की समितियां

पार्टी में निम्नलिखित छह समितियां होंगी:

i राष्ट्रीय समिति (एनसी)

ii. केंद्रीय कार्यकारी समिति (सीईसी)

iii. राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी)

iv. जिला कार्यकारी समितियां (डीईसी)

v. ब्लॉक कार्यकारी समिति (बीईसी)

vi. मतदान केंद्र समिति (पीएससी)

अनुच्छेद 7: पार्टी समितियों का कार्यकाल:

i. पार्टी की प्रत्येक समिति, उसके पदाधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल चुनाव/नामांकन की तारीख से 3 (तीन) वर्ष होगा, जैसा भी मामला हो।

ii. यदि किसी भी समिति के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले चुनाव नहीं होता है, तो कार्यकाल को 'सक्षम प्राधिकारी' द्वारा बढ़ाया जा सकता है या समिति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

iii. उपरोक्त खंड (ii) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होगा:

क. राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समिति; तथा

ख. राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति; और

ग. राज्य कार्यकारी समिति, डीईसी, बीईसी और पीएससी।

अनुच्छेद 8: बैठकें / समितियों की बैठकें:

i. सर्कुलेशन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (उदाहरण के लिए-स्काइप) की सहायता से आयोजित समितियों की बैठक वैध बैठक होगी।

ii. पार्टी संविधान में प्रावधान के अनुसार अपनी सभी समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्त को बनाए रखेगी।

iii. राष्ट्रीय समिति की बैठक हर तीन महीने (त्रैमासिक) में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

iv. केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक छः माह (अर्धवार्षिक) में एक बार होगी। 24 घंटे का नोटिस देकर सीईसी की आपात बैठक बुलाई जा सकती है और 15 दिन का नोटिस देकर सामान्य बैठक बुलाई जा सकती है।

v. राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक छः माह (अर्धवार्षिक) में कम-से-कम एक बार आयोजित की जाएगी। एसईसी की आपात बैठक 7 दिन का नोटिस देकर और साधारण बैठक 15 दिन का नोटिस देकर बुलाई जा सकती है।

vi. जिला एवं प्रखंड समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह (त्रैमासिक) में कम-से-कम एक बार आयोजित की जाएगी।

vii. अत्यावश्यक मामलों में, जिसका पार्टी और संगठन पर प्रभाव पड़ सकता है, आपातकालीन बैठक या उपर्युक्त समितियों में से किसी की बैठक किसी भी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके नामांकित व्यक्ति के अनुमोदन से आयोजित की जा सकती है।

viii. राज्य स्तर पर समान प्रकृति के अत्यावश्यक मामले में, संबंधित राज्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध पर राज्य कार्यकारी समिति की एक आपात बैठक आयोजित की जा सकती है और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति या पूर्व-कार्योत्तर या उसके नामांकित व्यक्ति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, अन्यथा इसे अमान्य माना जाएगा। जिला कार्यकारी समिति या ब्लॉक कार्यकारी समिति, जैसा भी मामला हो, आकस्मिक बैठकें आयोजित करने के लिए पात्र होंगे और ऐसी बैठकों में निर्णय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होते हैं और इन समितियों के निर्णयों का प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन (ex-post facto) किया जाता है, जो वैध निर्णय होंगे।

ix. इन समितियों की बैठकों के संयोजक संबंधित समिति के महासचिव/सचिव होंगे, जैसी स्थिति हो।

x. समितियों की बैठकों की अध्यक्षता उनके संबंधित अध्यक्षों द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में संबंधित संयोजक इन समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

xi. समितियों की किसी भी बैठक में सभी स्तरों पर सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, जिसमें विफल रहने पर अन्यथा संविधान में प्रदान किए जाने के अलावा, बहुमत से वोट किया जाएगा।

xii. यदि छह महीने में एक बार भी डीईसी और बीईसी की बैठक नहीं होती है, तो समितियां स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगी। यदि कोई डीईसी या बीईसी निष्क्रिय हो जाता है, तो एसईसी के पास उस समिति को कारण बताने का अवसर देने के बाद उसे भंग करने की शक्ति होगी।

अनुच्छेद 9: संगठनात्मक संरचना

9.1 मतदान केंद्र समिति (पीएससी) की संरचना

एक पीएससी एक क्षेत्र को कवर करेगा, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट या राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित मतदान केंद्र शामिल होगा।

अ. पीएससी में निम्न शामिल होंगे:

i. पीएससी में संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र के प्राथमिक सदस्य होंगे और जब तक उस समिति में न्यूनतम 20 सदस्य न हों, तब तक इसका गठन नहीं किया जाएगा।

ii. 2(दो) सदस्यों को उन मतदान केंद्रों या गांवों के प्रत्येक मतदान केंद्र के सक्रिय और प्राथमिक सदस्यों द्वारा क्रमशः अध्यक्ष और सचिव के रूप में चुना जाएगा। इन दो सदस्यों के पास बीईसी के चुनाव में मतदान का अधिकार होगा।

iii. कोई अन्य व्यक्ति जिसे प्रखंड या जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

ब. पीएससी की शक्तियां और कार्य:

पीएससी के अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निम्न शक्तियां होंगीः

i. पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी मुद्दे या कार्रवाई पर विचार-विमर्श करना और निर्णय लेना।

ii. सक्रिय सदस्यों के लिए आवेदनों की सिफारिश करना और उसे राज्य कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करना

iii. प्रत्येक समिति सदस्यता शुल्क एवं अन्य धनराशि राज्य कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगी तथा उसका रिकार्ड रखेगी।

iv. ये समितियाँ राज्य कार्यकारिणी समिति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करेंगी।

v. ये समितियाँ राष्ट्रीय समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगी।

9.2 ब्लॉक कार्यकारी समिति (बीईसी) की संरचना

एक बीईसी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक क्षेत्र को कवर करेगा जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान है या जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

अ. बीईसी में निम्न शामिल होंगे:

i. 1 अध्यक्ष, 1 कार्यकारी अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 5 सचिव और अधिकतम 50 कार्यकारी सदस्य।

ii. संबंधित ब्लॉक के प्रत्येक मतदान केंद्र/क्षेत्र से 1 (एक) सदस्य को कार्यकारी सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा, अधिकतम 50 कार्यकारी सदस्यों के अधीन, जिनमें से कम-से-कम 5 महिलाएं होंगी।

iii. प्रत्येक पीएससी के अध्यक्ष और सचिव बीईसी के अध्यक्ष, 3 महासचिव और कोषाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। बीईसी के बाकी कार्यकारी सदस्यों को बीईसी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

iv. पार्टी के सदस्य जिले के नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड, जिला परिषद, जनपद, नगर निगमों के सदस्य के रूप में चुने गए जो उस ब्लॉक के निवासी हैं।

v. किसी भी विधायी निकाय के सदस्य यानी राज्य विधानमंडल या संसद आमतौर पर उस ब्लॉक के निवासी।

vi. एनसी द्वारा प्रदान किए गए नियमों के अनुसार सहयोजित (co-opted) सदस्य।

vii. कोई अन्य व्यक्ति जिसे राज्य या जिला कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

viii. बीईसी का कार्यकाल 3 साल का होगा।

ब. बीईसी की शक्तियां और कार्य:

i. ब्लॉक कार्यकारी समिति ब्लॉक स्तर पर पार्टी की गतिविधियों का आयोजन और समन्वय करेगी और उस ब्लॉक में एक से अधिक स्थानीय कार्यकारी समिति को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक मुद्दों को उठाएगी।

ii. एक ब्लॉक कार्यकारी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और पार्टी द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगी।

iii. प्रखंड कार्यकारिणी समिति के सदस्य आपस में या उस ब्लॉक के सक्रिय सदस्यों में से एक संयोजक और एक संयुक्त संयोजक (जिनमें से कम से कम एक महिला होगी) का चुनाव आम सहमति से करेंगे, ऐसा न होने पर जिला कार्यकारिणी समिति के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मतदान करेंगे।

iv. प्रत्येक समिति सदस्यता शुल्क एवं अन्य धनराशि राज्य कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगी तथा उसका रिकार्ड रखेगी।

v. ये समितियाँ राज्य कार्यकारिणी समिति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करेंगी।

vi. ये समितियाँ राष्ट्रीय समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगी।

9.3 जिला कार्यकारी समिति (डीईसी) की संरचना

एक डीईसी आमतौर पर एक जिला या एक क्षेत्र को कवर करेगा जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा परामर्श और राष्ट्रीय समिति (एनसी) के अनुमोदन से निर्धारित किया गया है।

क. डीईसी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. 1 अध्यक्ष, 1 कार्यकारी अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 10 सचिव, 3 प्रवक्ता।

ii. जिला कार्यकारिणी समिति (डीईसी) का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

iii. कार्यकारी सदस्यों के लिए, डीईसी में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से न्यूनतम 3 (तीन) सदस्य होंगे और 21 से अधिक कार्यकारी सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से कम से कम 5 महिलाएं होंगी।

iv. प्रत्येक बीईसी के 10 प्रतिनिधि डीईसी के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

v. किसी भी विधायी निकाय यानी राज्य विधानमंडल या संसद के सदस्य, जो आमतौर पर उस जिले के निवासी होते हैं। डीईसी में जिले के प्रत्येक ब्लॉक से एक प्रतिनिधि होगा।

vi. जिला कार्यकारिणी समिति वंचित सामाजिक समूहों, जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 5 सदस्यों को सहयोजित (co-opt) कर सकती है, यदि इनमें से किसी भी समूह का प्रतिनिधित्व कम है। यदि सहयोजित सदस्य पहले से ही पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें सहयोजित होते ही पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में समझा जाएगा और उन्हें कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्यों के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। सभी सह-चयनित सदस्यों को पार्टी सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके नामांकित व्यक्ति के अनुमोदन से राज्य कार्यकारी समिति द्वारा इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता होगी।

ख. डीईसी की शक्तियां और कार्य:

i. जिला कार्यकारिणी समिति जिला स्तर पर पार्टी की गतिविधियों का आयोजन और समन्वय करेगी और उस जिले में एक से अधिक ब्लॉक कार्यकारी समिति को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक मुद्दों को उठाएगी।

ii. एक जिला कार्यकारी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगी जो पार्टी द्वारा उसे सौंपे जाते हैं।

iii. पार्टी पदाधिकारियों की गतिविधियों की उस जिले में निगरानी करना।

iv. जिला स्तरीय वित्त का लेखा-जोखा रखना।

v. ये समितियाँ राज्य कार्यकारिणी समिति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और केन्द्रीय कार्यकारी समिति के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करेंगी।

vi. ये समितियाँ राष्ट्रीय समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगी।

9.4 राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) की संरचना

भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) होगी।

क. एसईसी में निम्न शामिल होंगे:

i. 1 अध्यक्ष, 1 कार्यकारी अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 10 सचिव, 3 प्रवक्ता।

ii. राज्य कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

iii. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

iv. कार्यकारी सदस्यों के लिए, एसईसी में कम से कम 21 कार्यकारी सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम 5 महिलाएं होंगी।

v. प्रत्येक डीईसी के 10 प्रतिनिधि एसईसी के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

vi. राज्य विधानमंडल के सदस्य और उस राज्य के संसद सदस्य।

vii. राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य संबंधित राज्य के निवासी होंगे या उस राज्य में अपना सामान्य व्यवसाय करेंगे।

ख. एसईसी की शक्तियां और कार्य:

i. राज्य कार्यकारिणी समिति संबंधित राज्य में पार्टी की नीतियों, उद्देश्यों और लक्ष्यों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। समिति राज्य स्तर पर सामान्य प्रशासन और मामलों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होगी।

ii. पार्टी की सदस्यता के आवेदनों पर निर्णय लेना।

iii. पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए एक योजना और रणनीति तैयार करना।

iv. राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से पार्टी की निधियों पर नियंत्रण रखना, जो केंद्रीय कार्यकारी समिति के परामर्श से ऐसी स्वीकृति देगा।

v. राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित राज्य स्तर पर पार्टी के कर्मचारियों की नियुक्ति और नियंत्रण।

vi. पार्टी की राष्ट्रीय समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्णय एवं निर्देश को क्रियान्वित करना।

vii. राज्य कार्यकारिणी समिति पार्टी के भीतर या बाहर से किसी भी व्यक्ति को 'विशेष आमंत्रित' के रूप में अपनी एक या अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है। हालांकि, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

9.5 केंद्रीय कार्यकारी समिति (सीईसी) की संरचना

क. सीईसी में निम्न शामिल होंगे:

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्रीय कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे, राजनीतिक, वित्त और संगठन के प्रभारी 3 राष्ट्रीय महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 6 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सहयोजित होंगे, जिनमें से 2 महिलाएं होंगी।

ख. सीईसी की शक्तियां और कार्य:

i. पार्टी के संविधान से असंगत न होने वाले निर्देश जारी करना और उन सभी मामलों में नियम बनाना जो अन्यथा उपबंधित नहीं हैं।

ii. पार्टी और उसकी समितियों के खातों के विवरण को नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक रूप से ऑडिट कराना।

iii. केंद्रीय कार्यकारी समिति सभी पार्टी समितियों और संगठनों के अभिलेखों, कागजात और लेखा पुस्तकों की जांच के लिए एक या अधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है और ऐसी सभी समितियों और संगठनों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे सीईसी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों को सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें, उन्हें सभी कार्यालयों, खातों और अन्य अभिलेखों तक पहुंच प्रदान करें।

iv. यदि आवश्यक हो, तो केंद्रीय कार्यकारी समिति अपने कार्यों के निष्पादन के लिए उप-समिति नियुक्त कर सकती है।

v. केंद्रीय कार्यकारी समिति किसी भी नीतिगत निर्यण या नीति परिवर्तन पर चर्चा करेगी और निर्णय लेगी जिसे अभी तक पार्टी द्वारा अपनाया नहीं गया है। केंद्रीय कार्यकारी समिति के पास सभी संगठनात्मक इकाइयों के मार्गदर्शन और विनियमन का अधिकार होगा। उक्त निर्णय के 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर राष्ट्रीय समिति की एक विशेष बैठक में इन निर्णयों की पुष्टि करनी होगी।

vi. राष्ट्रीय समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले सभी मामलों को आगे के विचार-विमर्श के लिए केंद्रीय कार्यकारी समिति को भेजा जाएगा और उसमें लिए गए निर्णयों को अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय समिति को वापस भेज दिया जाएगा।

vii. केन्द्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एक या अधिक बैठकों के लिए संसद सदस्यों को 'विशेष आमंत्रित' के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं। हालांकि, विशेष आमंत्रित व्यक्ति के पास मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।

viii. पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय समिति के पूर्व अनुमोदन से दायर शिकायतों और अपीलों के संबंध में कार्य के संचालन के लिए नियम बनाने में सक्षम होगी।

ix. केंद्रीय कार्यकारी समिति पार्टी के वित्त के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय कार्यकारी समिति वार्षिक बजट तैयार करेगी जिसे राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद तदनुसार धन आवंटित किया जाएगा।

9.6 राष्ट्रीय समिति (एनसी) की संरचना

क. राष्ट्रीय समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 5 राष्ट्रीय महासचिव राजनीतिक मामलों के प्रभारी, प्रशासन, अध्यक्ष कार्यालय, संगठन और वित्त। इसमें 1 कोषाध्यक्ष, 10 सचिव, 1 प्रवक्ता और 15 कार्यकारी सदस्य होंगे, जिनमें से 5 महिलाएं होंगी।

i. प्रत्येक राज्य कार्यकारी समिति के 10 (दस) प्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और राष्ट्रीय समिति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का मतपत्र द्वारा चुनाव करेंगे।

ii. राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समिति के अन्य सदस्यों को मनोनीत करेंगे।

iii. राष्ट्रीय समिति पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारी निकाय/प्राधिकरण होगी और उसके पास नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने की शक्ति होगी। यह पार्टी के संविधान के प्रावधानों की व्याख्या और लागू करने और पार्टी के सभी नीतिगत निर्णय लेने के संबंध में सभी मामलों में अंतिम प्राधिकरण होगा। राष्ट्रीय समिति के निर्देश पार्टी की अन्य सभी समितियों के लिए बाध्यकारी होंगे।

iv. राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को नामित करेंगे यदि ऐसे पद अप्रत्याशित परिस्थितियों में मृत्यु या इस्तीफे और हटाने की स्थिति में रिक्त हो जाते हैं।

ख. राष्ट्रीय समिति की शक्तियाँ और कार्य:

i. पार्टी और उसके पदाधिकारियों के समुचित कार्य के लिए नियम और कानून बनाना।

ii. राष्ट्रीय समिति को पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नीति-निर्देश जारी करने की आवश्यकता होगी।

iii. पार्टी की किसी भी समिति के सदस्य और पार्टी के सदस्यों के खिलाफ ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना जो वह उचित समझे।

iv. विभिन्न स्तरों पर पार्टी पदाधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण करना और जनहित से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना।

v. राष्ट्रीय समिति राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित और जमा किए गए खातों के वार्षिक विवरण को अपनाएगी।

vi. राष्ट्रीय समिति को किसी भी अंग/ समिति/ टीम को निलंबित/ विघटित करने या किसी अंग/ टीम/ समिति के किसी पदाधिकारी/ सदस्य को हटाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 10: साधारण सभा

पार्टी की साधारण सभा का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष होगा और इसमें एसईसी द्वारा अपने सदस्यों में से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होंगे:

i. साधारण सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रतिनिधियों के चयन के लिए मतदान प्रत्येक मान्यता प्राप्त राज्य से किया जाएगा (वे राज्य जहां पार्टी को औपचारिक रूप से भारत के चुनाव आयोग द्वारा "राज्य पार्टी" के रूप में मान्यता दी गई है)। प्रत्येक एसईसी द्वारा 10 (दस) व्यक्तियों को चुनने के लिए गुप्त मतदान कराया जाएगा। ये सदस्य राष्ट्रीय समिति के सदस्यों और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रतिनिधि भी होंगे।

ii. साधारण सभा के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव आम तौर पर अपने कार्यकाल की समाप्ति से कम-से-कम 15 (पंद्रह) दिन पहले होगा, एनसी द्वारा अनुमोदित आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर।

iii. साधारण सभा को अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों में से सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा। ऐसे सदस्य एनसी या अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के चुनाव में मतदान के लिए प्रतिनिधि नहीं होंगे।

iv. राष्ट्रीय समिति के नीतिगत निर्णयों की पुष्टि करने और इसकी नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित और दिशा देने के लिए साधारण सभा हर साल कम-से-कम एक बार बैठक करेगी।

v. साधारण सभा एनसी द्वारा पारित खातों को प्राप्त करेगा और उसे अनुमोदित करेगा।

अनुच्छेद 11: पार्टी के पदाधिकारी

11.1 राष्ट्रीय अध्यक्ष

पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जिसे पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाएगा, जिसमें इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार पार्टी की सभी कार्यकारी शक्तियां होंगी।

1. चुनाव और योग्यता:

क. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष होगा।

ख. पार्टी का कोई भी सक्रिय सदस्य जो भारत का नागरिक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष (जिसे पार्टी का अध्यक्ष या अध्यक्ष भी कहा जाता है) के पद की उम्मीदवारी के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि वह स्वस्थ दिमाग, आर्थिक रूप से सक्षम और भारत के संविधान और पार्टी के संविधान के प्रति निष्ठावान हो।
ग. केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पदेन निर्वाचन अधिकारी होंगे।

घ. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले होगा।

ङ. कोई भी 10 (दस) सक्रिय सदस्य या कम से कम 10 (दस) सदस्य या पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के निर्वाचन मंडल के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुनाव के लिए किसी भी सक्रिय सदस्य के नाम का प्रस्ताव कर सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित तिथि को या उससे पहले निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए।

च. निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार प्रस्तावित सभी व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करेगा और यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुला होगा जिसका नाम इसमें प्रस्तावित है, वह 7 (सात) दिनों के भीतर निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए सूचित कर सकता या सकती है।

छ. राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर जो सामान्यत: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों के अंतिम प्रकाशन के बाद 7 (सात) दिनों से कम नहीं होगी, पर चुनाव मतपत्र द्वारा होगा।

ज. अध्यक्ष का चुनाव उसी निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जो एनसी का चुनाव करता है, यानी साधारण सभा के सहयोजित सदस्यों को छोड़कर पार्टी के साधारण सभा के प्रतिनिधि।

राष्ट्रीय अध्यक्ष की शक्तियां:

i. राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के मुख्य पदाधिकारी, समग्र प्रशासनिक प्रमुख और प्रवक्ता होंगे।

ii. राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके नामित व्यक्ति राष्ट्रीय समिति, सीईसी और साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

iii. राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी के कामकाज के निर्वहन में राष्ट्रीय उपाध्यक्षों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों को नियुक्त करने की शक्ति होगी, जिनमें से एक को राष्ट्रीय समिति का सदस्य होना चाहिए, एनसी के सदस्यों में से 1 राष्ट्रीय महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष और इतनी संख्या में अतिरिक्त / संयुक्त सचिव जैसा कि वह पार्टी के समुचित कार्य के लिए उपयुक्त समझते हैं। राष्ट्रीय समिति की अगली बैठक में ऐसी नियुक्तियों की पुष्टि करनी होगी।

v. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव/और अतिरिक्त/संयुक्त सचिव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और कार्य जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएंगे।

vi. राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय समिति के परामर्श से, मोर्चों (फ्रंटल संगठनों) के अध्यक्ष / अध्यक्ष और संयोजक को नियुक्त करने का भी अधिकार है।

vii. राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की सभी समितियों पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करेंगे और सभी समितियों के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उन्हें सौंपे गए अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेंगे।

viii. राष्ट्रीय समिति को छोड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कार्यकारी/विशेषज्ञ/विशेषज्ञ समितियों को बनाने, निलंबित करने, समाप्त करने या नामित करने की शक्ति होगी, और ऐसे निर्णयों की राष्ट्रीय समिति की अगली बैठक में पुष्टि करनी होगी।

ix. राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी समितियों और अन्य समितियों के अध्यक्षों/अध्यक्षों को कार्य और उत्तरदायित्व सौंपेंगे।

x. राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की किसी भी इकाई और उसके रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं और पार्टी के उद्देश्यों के अनुरूप निर्देश दे सकते हैं।

xi. राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पार्टी की सभी समितियों के पदाधिकारियों को निलंबित या हटाने की शक्ति होगी और ऐसे निर्णयों को एनसी की अगली बैठक में अनुमोदित करना होगा।

xii. राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पार्टी के संविधान के उल्लंघन के आधार पर पार्टी के किसी भी सदस्य को पार्टी से निष्कासित करने की शक्ति होगी, जो अगली बैठक में एनसी के अनुमोदन के अधीन होगा।

xiii. राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के प्रवक्ता-व्यक्ति (व्यक्तियों) को नियुक्त या हटा सकते हैं।

xiv. राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी से संबंधित सभी चल या अचल, मूर्त या अमूर्त संपत्तियों के संरक्षक होंगे और पार्टी की ऐसी सभी संपत्तियों को स्थानांतरित, गिरवी, लीज पर दे सकेंगे, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा अनुमोदित कराना होगा।

xv. राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संविधान में विशेष रूप से अनुमत विभिन्न उद्देश्यों के लिए पार्टी के केवल एक 'सक्रिय सदस्य' को अपने उम्मीदवार के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

11.2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष :

i. पार्टी के 5 उपाध्यक्ष होंगे जो राष्ट्रीय समिति के सदस्य होंगे।

ii. उपाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

11.3 राष्ट्रीय महासचिव और सचिव:

i. राष्ट्रीय महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जो एनसी द्वारा नियुक्ति के अनुमोदन के अधीन होगी।

ii. राष्ट्रीय महासचिव ऐसे सभी कार्यों और शक्तियों का निर्वहन करने के लिए सक्षम होंगे जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हैं।

iii. वह रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

iv. राष्ट्रीय महासचिव को उनके कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अतिरिक्त/संयुक्त सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त/संयुक्त सचिव अपने कार्य के संबंध में राष्ट्रीय महासचिव (सचिवों) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

v. वह पार्टी के कार्यालय संगठन के काम के सामान्य पर्यवेक्षण और राष्ट्रीय समिति और साधारण सभा के अभिलेखों के संरक्षक के लिए जिम्मेदार होगा।

vi. वह पार्टी की ओर से प्रकाशनों और बयानों के लिए जिम्मेदार होंगे।

vii. राष्ट्रीय महासचिव का पद रिक्त होने की स्थिति में इसे अध्यक्ष द्वारा भरा जा सकता है जो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर एक सदस्य को नामित करेंगे।

viii. राष्ट्रीय स्तर पर सचिव सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ix. राष्ट्रीय महासचिव (सचिवों) का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ-साथ समाप्त होगा।

11.4 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष:

i. पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जो राष्ट्रीय कमेटी के अनुमोदन के अधीन है।

ii. कोषाध्यक्ष पार्टी की आय और व्यय का उचित लेखा-जोखा रखेगा।

iii. कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कमेटी के परामर्श से राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन पार्टी के लिए संसाधन और वित्त जुटा सकता है।

iv. लेखा परीक्षा रिपोर्ट बनाने और प्रस्तुत करने के लिए कोषाध्यक्ष जिम्मेदार होगा।

v. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ-साथ समाप्त होगा।

11.5 एसईसी / डीईसी और बीईसी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष:

i. एसईसी/डीईसी और बीईसी के अध्यक्ष की इन समितियों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए अनुपलब्ध रहने की स्थिति में, समितियों के संबंधित अध्यक्षों द्वारा एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।

ii. कार्यकारी अध्यक्ष राज्य / जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी के समुचित कार्य के लिए संबंधित समितियों द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।

अनुच्छेद 12: मोर्चे व संगठन

i. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समिति के परामर्श से राष्ट्रीय जन युवा मोर्चा (एनपीवाईएफ), राष्ट्रीय जन महिला शाखा (एनपीडब्ल्यूडब्ल्यू), राष्ट्रीय जन किसान प्रकोष्ठ (एनपीकेसी), श्रम प्रकोष्ठ, जनजातीय के अलावा अतिरिक्त प्रकोष्ठों/ इकाइयों/ विभागों का सृजन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अन्य वंचित समूहों के लिए कल्याण प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक समिति और समिति, जैसा वे उचित समझते हैं, के लिए राष्ट्रीय समिति के परामर्श से अध्यक्ष/चेयरमैन, सचिवों, कोषाध्यक्षों सहित अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। ये संगठन पार्टी के संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करेंगे।

ii. प्रत्येक मोर्चा व संगठन पार्टी के संविधान और उसमें निहित सिद्धांतों, उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान होगा। पार्टी की सदस्यता और संगठन द्वारा बनाए गए और पार्टी की राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित इसके कार्यों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अलावा इसकी अपनी सदस्यता होनी चाहिए।

अनुच्छेद 13: राष्ट्रीय न्यास और न्यासी बोर्ड

राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समिति के परामर्श से, पार्टी से संबंधित चल/अचल संपत्तियों के रख-रखाव के लिए एक 'राष्ट्रीय न्यास' का गठन कर सकते हैं। इस प्रकार गठित न्यास पार्टी की आंतरिक समिति होगी और इसका पंजीकृत न्यास होना आवश्यक नहीं है। पार्टी की प्रत्येक समिति/ न्यास/ संगठन अपने निपटान में उपलब्ध जायदाद और संपत्तियों का उचित रिकॉर्ड रखेगा। हालांकि, एनसी कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय न्यास को पंजीकृत कराने का निर्णय ले सकती है।

13.1: ट्रस्ट की संरचना:

ट्रस्ट में अध्यक्ष और अन्य पदेन न्यासी सहित 3 (तीन) से कम और 5 (पांच) से अधिक न्यासी शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे।

13.2: राज्य स्तर पर निगरानी समिति:

केंद्रीय कार्यकारी समिति प्रत्येक राज्य में उस विशेष राज्य में स्थित राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा धारित सभी संपत्तियों की देखभाल, रखरखाव, और इष्टतम उपयोग के लिए एक निगरानी समिति नियुक्त कर सकती है। इस समिति को राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कार्य करना होगा, जो राष्ट्रीय समिति के परामर्श से निर्देश देंगे।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति में कम से कम 5 (पांच) सदस्य होंगे और राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कार्यवाहक समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे, पार्टी के राज्य सचिव और राज्य कोषाध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे। . कार्यवाहक समिति के 2 (दो) सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किसी भी संपत्ति का निपटान राष्ट्रीय समिति के परामर्श से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से किया जाएगा।

अनुच्छेद 14: निर्वाचन समितियां

14.1 केंद्रीय निर्वाचन समिति

क. केंद्रीय निर्वाचन समिति की संरचना:

एक केंद्रीय निर्वाचन समिति में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य और 6 (छह) अन्य नामित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति केंद्रीय निर्वाचन समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

ख. केंद्रीय निर्वाचन समिति के कार्य:

इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

i. राज्य विधानसभाओं, संसद, पंचायतों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन या तो राज्य स्तरीय चुनाव समिति की सिफारिशों पर या स्वयं करना।

ii. पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार करना।

iii. कोई अन्य कार्य जो केंद्रीय कार्यकारी समिति द्वारा सौंपे जा सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तीन महीने (तिमाही) में कम से कम एक बार होगी।

14.1 राज्य स्तरीय चुनाव समितियां:

क. राज्य स्तरीय चुनाव समितियों का गठन:

प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय चुनाव समिति नियुक्त की जाएगी और राज्य स्तरीय चुनाव समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

i. राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष - अध्यक्ष

ii. राज्य कार्यकारिणी समिति के राज्य सचिव – सचिव

iii. राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक सदस्य, जो पार्टी का सक्रिय सदस्य होगा।

iv. 3 (तीन) सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एनसी के परामर्श से नियुक्त किए गए।

ख. राज्य स्तरीय चुनाव समितियों के कार्य:

राज्य स्तरीय चुनाव समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

i. उस राज्य की पंचायतों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की केंद्रीय चुनाव समिति को अनुमोदन के लिए सिफारिश करना।

ii. राज्य स्तरीय चुनाव समिति जिला और ब्लॉक स्तर पर चुनावों की निगरानी करेगी।

iii. यदि केंद्रीय चुनाव समिति को आवश्यकता होती है, तो राज्य स्तरीय चुनाव समिति किसी भी चुनाव/चुनाव की सीट के संबंध में वैकल्पिक नामों की सिफारिश करेगी और राष्ट्रीय समिति द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

iv. केन्द्रीय चुनाव समिति के निर्देश के तहत पंचायतों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों में चुनाव अभियान का प्रबंधन करना।

v. राज्य स्तरीय चुनाव समिति की तीन महीने (तिमाही) में कम से कम एक बार बैठक होगी।

vi. राष्ट्रीय समिति द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य

अनुच्छेद 15: आंतरिक निर्वाचन तंत्र:

राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय कार्यकारी समिति के परामर्श से पार्टी के आंतरिक संगठनात्मक निर्वाचनों के लिए केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण और राज्य निर्वाचन प्राधिकरणों की स्थापना करेंगे।

15.1: केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण:

इसमें 3 (तीन) से कम और 11 (ग्यारह) से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से एक ऐसे प्राधिकार का अध्यक्ष होगा। सदस्यों को राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इसके अध्यक्ष को राष्ट्रीय समिति के परामर्श से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। इसके कार्य इस प्रकार होंगे:

i. केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन), राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्य कार्यकारी समितियों के पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संगठनात्मक चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगा और संगठनात्मक चुनावों के संचालन का समग्र पर्यवेक्षक करेगा।

ii. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पार्टी के आंतरिक चुनावों के संचालन के अलावा, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण सभी स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के साथ ही सदस्यों के नामांकन की निगरानी भी करेगा।

iii. केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण, एनसी/एसईसी के परामर्श से, जैसा भी मामला हो, सदस्यों के नामांकन से लेकर चुनावों के परिणामों की घोषणा के चरण तक सभी स्तरों पर चुनावों के कैलेंडर को अंतिम रूप देगा।

iv. केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन), राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और एसईसी के निर्वाचित पदाधिकारियों के कार्यालयों के चुनाव कराने के लिए पदेन निर्वाचन अधिकारी होंगे।

v. केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण राष्ट्रीय समिति के अनुमोदन के अधीन, उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक और सहायक कार्य करेगा।

vi. केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष होगा।

15.2: राज्य चुनाव प्राधिकरण:

इसमें 3 (तीन) से कम और 11 (ग्यारह) से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से एक ऐसे प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। सदस्यों को राष्ट्रीय समिति द्वारा नामित किया जाएगा और इसके अध्यक्ष को राष्ट्रीय समिति के परामर्श से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। इसके कार्य इस प्रकार होंगे:

i. राज्य चुनाव प्राधिकरण जिला और ब्लॉक स्तर पर यानी केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की देखरेख में जिला कार्यकारी समिति और ब्लॉक कार्यकारी समिति के लिए संगठनात्मक चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ii. राज्य निर्वाचन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समितियों और प्रखंड कार्यकारिणी समितियों के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों के कार्यालयों के चुनाव कराने वाला पदेन निर्वाचन अधिकारी भी होगा।

iii. राज्य चुनाव प्राधिकरण केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के सभी कार्यों में सहायक और सहयोगी के रूप में कार्य करेगा।

iv. राज्य निर्वाचन प्राधिकरण ऐसे अन्य कार्यों का भी निष्पादन करेगा जो केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय समिति के परामर्श से निर्देशित होगा।

v. राज्य चुनाव प्राधिकरण का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष होगा।

अनुच्छेद 16: सदस्यता की जांच

राज्य चुनाव प्राधिकरण जिला, ब्लॉक और मतदान केंद्र कार्यकारी समितियों की सहायता से सदस्यता की जांच की व्यवस्था करेगा और अंत में किसी व्यक्ति की सदस्यता की स्थिति पर फैसला करेगा। राज्य निर्वाचन प्राधिकरण जांच समितियां नियुक्त कर सकता है जो पिछले 6 (छह) वर्षों तक प्रत्येक जिला/ब्लॉक/मतदान केंद्र कार्यकारी समिति द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर की समय-समय पर जांच करेगी।

किसी व्यक्ति की सदस्यता की स्थिति के बारे में राज्य चुनाव प्राधिकरण के निर्णय के संबंध में अपील राज्य चुनाव प्राधिकरण के निर्णय के 30 (तीस) दिनों के भीतर केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

अनुच्छेद 17: चुनाव विवाद

i. राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और राष्ट्रीय समिति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्य कार्यकारी समिति की चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ शिकायतें ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के समक्ष दायर की जाएंगी और इस संबंध में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

ii. केवल पार्टी का एक सक्रिय सदस्य ही उपरोक्त खंड - (i) में संदर्भित शिकायत दर्ज कर सकता है।

iii. उपरोक्त खंड - (i) में निर्दिष्ट शिकायत के अलावा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में हर अन्य शिकायत, यानी जिला कार्यकारी समितियों और ब्लॉक कार्यकारी समितियों को संबंधित राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के समक्ष घोषणा के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दायर की जाएगी। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील आदेश पारित करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर की जा सकेगी।

iv. उपरोक्त खंड - (iii) में संदर्भित ऐसी सभी अपीलों का निपटारा उनकी प्रस्तुति के 30 (तीस) दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष 60 (साठ) दिनों के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो राष्ट्रीय समिति (एनसी) स्वतः संज्ञान लेकर जल्द से जल्द उसका निपटान कर सकती है। लेकिन 30 (तीस) दिनों के भीतर ही निपटान की उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।

v. केवल पार्टी का एक सदस्य, जिसमें सक्रिय या प्राथमिक सदस्य भी शामिल है, उपरोक्त खंड - (iii) में संदर्भित शिकायत/अपील दर्ज कर सकता है।

vi. उपरोक्त खंड - (i) और खंड - (iii) में संदर्भित शिकायत संबंधित अधिकारियों को या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा एडी / स्पीड पोस्ट के साथ पावती के साथ प्रस्तुत की जा सकती है।

vii. किसी भी सदस्य या पदाधिकारी के चुनाव के खिलाफ दाखिल लंबित अर्जी और अपील के दौरान किसी सदस्य या पदाधिकारी को कार्य करने से रोकने, निलंबित करने या प्रतिबंधित करने के लिए उपरोक्त खंड (i) और खंड (iii) में निर्दिष्ट प्राधिकरण को अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार नहीं होगा।

viii. पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय समिति के पूर्व अनुमोदन से इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत दायर शिकायतों और अपीलों के निपटान के संबंध में कार्य संचालन के लिए नियम बनाने के लिए सक्षम होगी।

ix. स्वयं शिकायतकर्ता के अलावा कोई भी व्यक्ति जिसने शिकायत या अपील दायर की थी, उसके निपटान के लिए नामित संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पैरवी नहीं करेगा। हालांकि, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उक्त प्राधिकारी की अनुमति से शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता को एक प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जा सकता है।

अनुच्छेद 18: गणपूर्ति

सभी समिति/कार्यकारी बैठकों के लिए गणपूर्ति (QUORUM) संख्या का एक तिहाई होगा। यदि नियत समय पर कोरम पूरा नहीं होता है, तो इकट्ठे हुए लोग अधिकतम 30 मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे और यदि कोरम अभी भी उपलब्ध नहीं है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी। फिर एक नई बैठक बुलाई जाएगी और ऐसी स्थिति में स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुच्छेद 19: महिलाओं के लिए आरक्षण

पार्टी जहां तक संभव हो राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर संबंधित समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बनाए रखने का प्रयास करेगी।

अनुच्छेद 20: राज्य स्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों की शक्तियां

20.1 राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष/राज्य अध्यक्ष:

i. प्रदेश अध्यक्ष संबंधित राज्य में पार्टी के मुख्य पदाधिकारी और प्रवक्ता होंगे।

ii. प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों पर कार्य करेंगे।

iii. प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी के कार्यों के निर्वहन में राज्य कार्यकारिणी समिति के अन्य पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. प्रदेश अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों तथा जिला कार्यकारिणी समितियों एवं प्रखंड कार्यकारिणी समितियों के अध्यक्षों को कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व सौंपेंगे।

v. प्रदेश अध्यक्ष संबंधित राज्य में पार्टी के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करेंगे।

vi. प्रदेश अध्यक्ष संबंधित राज्य में पार्टी की किसी भी इकाई का निरीक्षण कर सकते हैं और तदनुसार निर्देश दे सकते हैं।

vii. प्रदेश अध्यक्ष संबंधित राज्य इकाई के पार्टी प्रवक्ता को नियुक्त कर या हटा सकते हैं।

viii. राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय समिति के परामर्श से प्रदेश अध्यक्ष को कोई अन्य शक्ति भी प्रदान की जा सकती है।

20.2 प्रदेश उपाध्यक्ष की शक्तियां:

i. प्रदेश उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई हो।

ii. प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। प्रदेश उपाध्यक्ष अपने कार्यों के लिए राज्य कार्यकारी समिति के प्रति जवाबदेह होगा।

20.3 प्रदेश महासचिव की शक्तियां:

i. प्रदेश महासचिव ऐसे सभी कार्यों और शक्तियों का निर्वहन करने में सक्षम होगा जो उसे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाते हैं।

ii. वह राज्य स्तर पर पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट सहित रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

iii. प्रदेश महासचिव को उनके कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में सचिव/सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. वह पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के दिन-प्रतिदिन के कार्यालय के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

v. वह पार्टी की ओर से प्रकाशनों के लिए जिम्मेदार होगा।

20.4 प्रदेश कोषाध्यक्ष की शक्तियाँ:

i. प्रदेश कोषाध्यक्ष राज्य स्तर पर पार्टी की आय और व्यय का उचित लेखा-जोखा रखेगा और पार्टी द्वारा नियुक्त पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और लेखा परीक्षक के साथ पूर्ण समर्थन और सहयोग करेगा।

ii. प्रदेश कोषाध्यक्ष राज्य अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से पार्टी के लिए संसाधन और वित्त जुटा सकता है, जो बदले में राष्ट्रीय अध्यक्ष का अनुमोदन लेगा।

iii. प्रदेश कोषाध्यक्ष समय-समय पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से परामर्श करेंगे।

20.5 राज्य के अतिरिक्त/संयुक्त सचिवों की शक्तियाँ:

i. प्रदेश अध्यक्ष और/या राज्य महासचिव राज्य के अतिरिक्त/संयुक्त सचिवों को कार्य और शक्तियां सौंप सकते हैं।

ii. राज्य के अतिरिक्त/संयुक्त सचिव अपने कार्य के संबंध में राज्य महासचिव को रिपोर्ट करेंगे।

20.6 जिला और ब्लॉक समितियों की शक्तियाँ:

i. प्रत्येक समिति अपने-अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।

ii. समितियां पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करेंगी और उचित जांच के बाद उसे राज्य कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करेंगी।

iii. ये समितियां समितियों और अन्य पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित आवेदनों की जांच में भी सहायता करेंगी।

iv. प्रत्येक समिति सदस्यता शुल्क एवं अन्य धनराशि राज्य कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगी तथा उसका रिकॉर्ड रखेगी।

v. ये समितियाँ सीधे राज्य कार्यकारिणी समिति और केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की समग्र देखरेख में काम करेंगी।

अनुच्छेद 21: पार्टी के संविधान में संशोधन

i. संविधान में संशोधन पार्टी की साधारण सभा की 2/3 बहुमत और वोट से ही होगी।

ii. यदि राष्ट्रीय समिति पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर रही है, तो वह उसके लिए एक विशेष बैठक बुलाएगी और सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना देगी।

iii. राष्ट्रीय समिति द्वारा किए गए संशोधनों को अनुसमर्थन के लिए सामान्य निकाय की अगली बैठक में रखा जाएगा, लेकिन वे राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित तिथि से से पहले ही लागू हो सकते हैं। हालाँकि, यदि सामान्य निकाय राष्ट्रीय समिति द्वारा किए गए संशोधनों की पुष्टि करने से इनकार करता है, तो इसे शुरू से ही शून्य माना जाएगा।

iv. अत्यावश्यक और विशेष मामलों में, पार्टी की राष्ट्रीय समिति कुछ समय के लिए लागू होने के लिए प्रारंभिक संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के संशोधन के लिए एजेंडा पार्टी की आम सभा की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए 6 (छह) महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

v. संशोधन की शक्ति का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि संशोधित संविधान को भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए वैधानिक प्रावधानों या दिशानिर्देशों के विरोध में लाया जा सके।

vi. संशोधन के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय समिति कम से कम 10% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

अनुच्छेद 22: पार्टी का विघटन/विभाजन या विलय:

पार्टी को भंग/विभाजित या किसी अन्य पार्टी के साथ विलय तभी किया जा सकता है जब उसके लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय समिति के परामर्श से शुरू किया जाता है और उस प्रस्ताव पर निर्णय पार्टी की साधारण सभा द्वारा एक बैठक में लिया जाता है। बशर्ते कि वह बैठक खास तौर से इस उद्देश्य के लिए ही बुलाया गया होः

i. साधारण सभा को स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किसी महासचिव द्वारा बुलाया गया हो।

ii. पार्टी के विघटन/विभाजन या किसी अन्य पार्टी के साथ पार्टी के विलय के विशिष्ट एजेंडे के साथ साधारण सभा की बैठक की एक महीने की स्पष्ट सूचना साधारण सभा के सभी सदस्यों को देना होगा।

iii. इस संबंध में निर्णय पार्टी की साधारण सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से लिया जाएगा और इस संबंध में साधारण सभा का निर्णय अंतिम होगा।

iv. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार इस पार्टी के किसी अन्य पार्टी के साथ विलय के मामले में, पार्टी की सभी संपत्तियां और परिसंपत्तियां और उसकी साख (गुडिवल) उस पार्टी को स्थानांतरित कर दी जाएगी जिसके साथ पार्टी का विलय हो गया है या वह पार्टी जो इसके अनुसार बनाई गई है। विलय प्रस्ताव और ऐसी संपत्तियां, परिसंपत्तियां और साख पूरी तरह से विलयित पार्टी या विलय प्रस्ताव के अनुसार गठित पार्टी की होंगी।

अनुच्छेद 23: वित्त/लेखापरीक्षा/जवाबदेही

i. पार्टी की एक स्थापित निधि होगी जिसमें सभी सदस्यता शुल्क सदस्यता, लाभ, योगदान आदि जमा किए जाएंगे। पार्टी का सारा खर्चा इसी फंड से वहन किया जाएगा।

ii. पार्टी फंड किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा। खाते राज्य/जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी के नाम से खोले जाएंगे और संबंधित अध्यक्षों द्वारा या तो महासचिवों और कोषाध्यक्षों या राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्तियों / पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से संचालित किए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा

अधिकृत व्यक्ति को पार्टी की ओर से किसी भी बैंक से पार्टी के कार्यों के लिए आवश्यक कोई भी ऋण लेने का अधिकार होगा।

iii. ऋण के लिए आवेदन पर कोषाध्यक्ष और अन्य दो अधिकृत व्यक्तियों में से एक के हस्ताक्षर होंगे।

iv. इसी तरह की व्यवस्था राज्य स्तर पर तब भी संचालित होगी जबकि एक तदर्थ राज्य कार्यकारी समिति और तीन अधिकृत अधिकारी राज्य अध्यक्ष, राज्य कोषाध्यक्ष और राज्य महासचिव होंगे।

v. राष्ट्रीय समिति पार्टी के वित्त के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय कार्यकारी समिति वार्षिक बजट तैयार करेगी जिसे राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद तदनुसार धन आवंटित किया जाएगा। राष्ट्रीय समिति राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित और जमा किए गए खातों के वार्षिक विवरण को ग्रहण करेगी।

vi. राज्य कार्यकारिणी समिति और अन्य निचले स्तर की पार्टी समितियां वित्त प्रबंधन के मामलों में केंद्रीय स्तर पर जारी पैटर्न और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय समिति के निर्देशों का पालन करेंगी।

vii. पार्टी की प्रत्येक समिति पार्टी के खातों को प्राप्तियों और व्यय के आधार पर बनाए रखेगी और अगले वर्ष के 30 जून के भीतर हर साल उसका ऑडिट करवाएगी।

viii. ऑडिट किए गए खातों की एक प्रति या उसका सारांश प्रत्येक वर्ष के 31 अगस्त के भीतर केंद्रीय कार्यकारणी को भेजा जाएगा। पार्टी का वितीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

ix. राज्य समिति सहित निचले स्तरों की कार्यकारी समितियां, प्राप्तियों और व्यय के आधार पर नियमित लेखा पुस्तकों का रखरखाव करेंगी और प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के भीतर एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से ऑडिट करवाएंगी।

ix. राज्य समिति सहित निचले स्तरों की कार्यकारी समितियां, प्राप्तियों और व्यय के आधार पर नियमित खातों का रखरखाव करेंगी और प्रत्येक वर्ष 30 तारीख के भीतर एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से ऑडिट कराएंगी। अगले वर्ष के सितंबर और उसके तुरंत बाद केंद्रीय कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करेंगी।

x. केंद्रीय कार्यकारी समिति प्राप्तियों और व्यय के खातों की पुस्तकों का रखरखाव करेगी और अगले वर्ष के 31 दिसंबर के भीतर प्रत्येक वर्ष एक पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से एक ऑडिट करवाएगी। पार्टी की ओर से देश के कानून के तहत जब भी आवश्यक हो, आयकर, संपत्ति कर और चुनाव आयोग में रिटर्न दाखिल करना केंद्रीय कार्यकारी समिति का कर्तव्य होगा।

xi. पार्टी द्वारा प्राप्त धन का उपयोग पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

xii. निधि संग्रहण रसीदें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ही मुद्रित की जाएंगी। प्रत्येक रसीद को विधिवत क्रमांकित किया जाएगा और समय-समय पर निर्धारित रसीदों वाली पुस्तकों को जारी किया जाएगा।

xiii. प्रत्येक रसीद पर संबंधित कोषाध्यक्ष की मुहर और हस्ताक्षर होंगे। अधपन्ने पर उस सदस्य द्वारा पूरे हस्ताक्षर किए जाएंगे जो धन एकत्र करता है।

xiv. धनराशि का उपयोग संबंधित कार्यपालक द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय कार्यपालिका निधियों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले विनियम बना सकती है।

xv. खातों का रखरखाव Accrual basis प्रोद्भवन के आधार पर किया जाएगा। सभी दान और खर्चों का विवरण पारदर्शी बनाया जाएगा।

अनुच्छेद 24: दान और सदस्यता

राष्ट्रीय समिति, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और राज्य कार्यकारिणी समिति पार्टी के नाम पर अकाउंट पेयी चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा दान करने के इच्छुक दाताओं से दान स्वीकार करने की हकदार होगी। राज्य कार्यकारिणी द्वारा प्राप्त सभी दान समिति केंद्रीय कार्यकारी समिति को भेजी जाएगी। दान में सदस्यों द्वारा दी गई सदस्यता शुल्क शामिल नहीं होगी।

अनुच्छेद 25: रिक्तियां

i. इस संविधान के तहत गठित किसी भी समिति या प्रतिनिधि या बोर्ड के किसी भी सदस्य का पद त्यागपत्र, निष्कासन, पागलपन, दिवाला, आदतन अनुपस्थिति या मृत्यु से खाली हो गया है, उसी तरह से भरा जाएगा जिस तरह से उक्त सदस्य को चुना गया था, जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार निर्वाचित/नामांकित सदस्य रिक्त सीट की असमाप्त अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

ii. यदि ऐसी रिक्ति चार सप्ताह के भीतर नहीं भरी जाती है या किसी भी कारण से चार सप्ताह के भीतर रिक्ति को भरना संभव नहीं है, तो रिक्ति को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय समिति के परामर्श से नामांकन द्वारा भरा जाएगा। .

iii. राष्ट्रीय अध्यक्ष/प्रदेश अध्यक्ष अपने द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी को संबंधित कार्यकारिणी समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के बाद ही हटा सकते हैं।

iv. किसी समिति या परिषद में रिक्ति को भरने के लिए उस निकाय के शेष निर्वाचित सदस्य रिक्ति को भरने के हकदार होंगे। लेकिन महिला सदस्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की रिक्ति को संबंधित श्रेणियों के सदस्यों द्वारा ही भरा जाएगा।

v. अपनी इकाई की लगातार तीन बैठकों में अनुमोदन के बिना अनुपस्थित रहने वाले सदस्य संबंधित इकाई के प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

vi. राष्ट्रीय समिति में रिक्तियां सामान्यतः उस समिति के सदस्यों में से भरी जाएंगी।

vii.यदि किसी कारणवश साधारण सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पदों के लिए कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो सामान्य निकाय की बैठक ऐसी रिक्ति की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर बुलाई जाएगी और ऐसे पद या पदों की रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिए विधिवत रूप से चुनाव कराया जाएगा।

अनुच्छेद 26: आचार संहिता और अनुशासनात्मक कार्यवाही

26.1. अनुशासनहीनता के कार्य:

i. संविधान और पार्टी की घोषित नीतियों के विपरीत कार्य करना।

ii. पार्टी या उसकी समितियों या पदाधिकारियों की नीतियों की खुली और सार्वजनिक आलोचना करना।

iii. पार्टी के भीतर एक समूह बनाना या पार्टी के संवैधानिक रूप से नियुक्त सदस्य या पदाधिकारी के अधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से किसी सदस्य को समर्थन देना।

iv. सदस्यों के बीच द्वेष भावना फैलाना या बदनामी का अभियान चलाना; किसी भी अनैतिक या अवैध गतिविधि या ऐसी गतिविधि में खुद को शामिल करना जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए और/या पार्टी की छवि को खराब करे और/या ऐसा आचरण जो इसे बदनाम करे।

v. किसी भी तरह से पार्टी के कामकाज में बाधा डालना।

vi. पार्टी के संवैधानिक पदानुक्रम का पालन करने से इनकार और अवज्ञा का कार्य।

vii. पार्टी के फंड का दुरुपयोग करना।

viii. सदस्यों के नामांकन या समितियों के चुनाव में बाधा उत्पन्न करना।

ix. किसी ऐसे दल या समूह या संघ में शामिल होना जो पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है या जिसके सिद्धांतों को राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

x. पार्टी के सदस्य या पदाधिकारी होने के कारण निहित अधिकार का दुरुपयोग करना, या इस तरह के अधिकार का उपयोग करने में विफल होना और इस तरह पार्टी के एक घटक के कामकाज में विफलता लाना।

xi. किसी भी चुनाव में पार्टी द्वारा स्थापित एक आधिकारिक उम्मीदवार का विरोध करने के लिए; तथा

xii. कोई अन्य कार्य या चूक जो पार्टी की राष्ट्रीय समिति की राय में अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है।

26.2 दंड

अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य का दोषी कोई भी सदस्य दंड के भागी होगा जिनमें निम्नलिखित में से एक या अधिक शामिल हो सकते हैं:

i. पार्टी से निष्कासन जो स्थायी या अस्थायी हो सकता है।

ii. एक निश्चित अवधि के लिए पार्टी की सदस्यता से निलंबन।

iii. पद से हटाना।

iv. किसी विशेष पद के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए या स्थायी रूप से अयोग्य करार दिया जाना।

v. अर्थ दंड

vi. जिला अथवा राज्य कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने की स्थिति में दंड क्रमशः राज्य कार्यकारिणी समिति अथवा राष्ट्रीय समिति के अनुमोदन के पश्चात ही लगाई जाएगी।

26.3 अनुशासन समिति और अनुशासनिक प्रक्रिया

i. अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एक-एक अनुशासन समिति का गठन राष्ट्रीय समिति के परामर्श से किया जाएगा। जिसमें पांच से कम और 7 (सात) से अधिक सदस्य शामिल न हों।

ii. कोई भी सदस्य जिसके खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जाते हैं, उसके खिलाफ संबंधित राज्य अनुशासन समिति द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा, सिवाय राज्य कार्यकारी समिति के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों के, जिनके खिलाफ राष्ट्रीय अनुशासन समिति द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा।

iii. राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुशासनहीनता के किसी भी मामले पर सीधे संज्ञान ले सकते या सकती हैं जो उनकी जानकारी में आता है और इसे संबंधित अनुशासन समिति को भेज सकता या सकती हैं।

iv. राष्ट्रीय अनुशासन समिति राज्य अनुशासन समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करेगी। अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय अनुशासन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

v. अनुशासन भंग की शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य अनुशासन समिति शिकायत की सुनवाई करते समय और राष्ट्रीय अनुशासन समिति, शिकायत या अपील की सुनवाई करते समय, जैसा भी मामला हो, संबंधित अपराधी

सदस्य को अधिकतम 10 की अवधि के लिए निलंबित कर सकती है (दस) दिन उक्त सदस्य को कोई सुनवाई दिए बिना और फिर उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही निलंबन की अवधि बढ़ा सकते हैं।

vi. अनुशासनात्मक समितियों में निहित निलंबन की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वप्रेरणा द्वारा भी किया जा सकता है।

vii. अनुशासनात्मक समिति या राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उक्त सदस्य के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दोषी सदस्य को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए सभी आरोपों और सामग्री पर आधारित कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।

viii. दोषी सदस्य को कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 15 (पंद्रह) दिनों का समय दिया जा सकता है कि वह आरोपों के बारे में अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, जो उसके द्वारा संबंधित अनुशासन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। .

ix. राज्य अनुशासन समिति अपनी सिफारिशें राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को दोषी सदस्य के उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर पेश करेगी।

x. राष्ट्रीय अनुशासन समिति, मूल शिकायत पर किसी व्यक्ति पर मुकदमा करते समय, दोषी सदस्य के उत्तर/स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

xi. राज्य स्तर पर किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी कार्रवाई करने के एक सप्ताह के भीतर दी जाएगी।

xii. प्रदेश अध्यक्ष राज्य अनुशासन समिति की अनुशंसा पर एक सप्ताह के भीतर राज्य कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को सूचित करते हुए अंतिम निर्णय लेंगे। यदि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो मामले को निर्णय के लिए राज्य कार्यकारी समिति के पास भेजा जाएगा, जो एक सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारी समिति को सूचित करते हुए निर्णय लेगी।

xiii. राज्य अध्यक्ष निर्णय के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर संबंधित सदस्य को अंतिम निर्णय/की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे; हालाँकि, निर्णय को तुरंत लागू किया जाएगा।

xiv. राष्ट्रीय समिति को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुशासन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेंगे। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो मामला निर्णय के लिए केंद्रीय कार्यकारी समिति को भेजा जाएगा, जो उसके बाद एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेगी।

xv. कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई/अंतिम निर्णय संबंधित सदस्य को अपने मामले की व्याख्या करने और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का अवसर दिए बिना नहीं लिया जाएगा। हालांकि, निलंबन या लंबित जांच के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

xvi. राज्य अनुशासन समिति की सिफारिश पर राज्य कार्यकारी समिति द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से व्यथित कोई भी सदस्य राष्ट्रीय अनुशासन समिति में आदेश प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपील कर सकता है।

xvii. राष्ट्रीय अनुशासन समिति द्वारा एक महीने के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिफारिश भेजी जाएगी, जो अगले 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर निर्णय लेंगे, जिसमें विफल होने पर मामला केंद्रीय कार्यकारी समिति को भेजा जाएगा, जो उस पर 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर निर्णय लेगा।

xviii. अपील के निर्णय की सूचना राज्य अध्यक्ष को 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दी जाएगी और वह बदले में अपीलकर्ता को उसके बाद 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर राष्ट्रीय अनुशासन समिति के निर्णय पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे।

xix. यदि राष्ट्रीय अनुशासन समिति या राष्ट्रीय अध्यक्ष दोषी सदस्य को उसके स्पष्टीकरण को पढ़ने के बाद रिपोर्ट में किए गए अपराध का दोषी पाते हैं; राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास संबंधित सदस्य को निलंबित करने या इस्तीफे की मांग करने या तुरंत उसकी पार्टी की सदस्यता रद्द करने की शक्ति होगी।

xx. अनुशासनात्मक कार्यवाही में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश/अनुमोदन अंतिम होगा।

अनुच्छेद 27: विविध प्रावधान:

i. राष्ट्रीय समिति के सदस्यों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति एक साथ किन्हीं दो समितियों का सदस्य नहीं होगा।

ii. इस संविधान में जहां कहीं भी 'वोट' शब्द या इसका समानार्थी शब्द आता है, उसका अर्थ है एक वैध वोट होगा।
iii. संविधान के प्रावधानों के अर्थ, दायरे या व्याख्या के संबंध में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, इस तरह के खंड या उनकी व्याख्या पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और पार्टी के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा।

iv. पार्टी से संबंधित कानूनी मामलों के सभी पहलुओं को देखने के लिए एक कानूनी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक योग्य वकील को पार्टी के कानूनी सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।

v. कोई भी सदस्य जो अपनी अनुपस्थिति की पूर्व सूचना के बिना किसी समिति की लगातार 3 बैठकों में भाग नहीं लेता है, इस आशय का प्रस्ताव पारित होने पर समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

vi. पार्टी किसी भी तरह से हिंसा को बढ़ावा नहीं देगी या उकसाएगी या इसमें भाग नहीं लेगी।

vii. राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समिति के परामर्श से संविधान के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बना सकते हैं।